

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुज़फ़्फ़रनगर

विभागाध्यक्ष का पदनाम – महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० लखनऊ।

विभाग का पता – स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश,
स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

दूरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर – 0522-2622625, 2623980

ई-मेल :- dgmed@up.nic.in

जन सूचना अधिकारी का नाम – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अपीलीय अधिकारी का नाम – अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

मुख्यालय का पता – कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर
दूरभाष नम्बर – 0131-2440966, 0131-2645216

ई-मेल एड्रेस – cmomuf@up.nic.in, cmomzn@yahoo.com

विभाग की वेबसाईट का पता – www.uphealth.up.nic.in

DISTRICT PROFILE - MUZAFFARNAGAR

Total Population	4151613
Rural	3113710
Urban	1037903
Male	2218925
Female	1932688
Total No. of Gram Panchyats	687
Prathmik School	944
Total No. of Village (Revenue Villages)	893
No. of Tehsils	6
Total No. of Town/Urban Areas	20
No. of ASHA Worker	1999
No. of Anganwadi Worker	2788

Target Number of Infants	119394
Target Number of 0-5 Years	622742
Target Number of Pregnant Women	140765
Birth Rate	29/1000
Death Rate	8.9/1000
Infant Mortality Rate (Live Birth)	48.58/1000
Maternal Infant Mortality Rate (Live Birth)	440/100000
Female/Male Ratio	871/1000
No. of Blocks	14
No. of CHC	16
No. of PHC	59
No. of Sub Centers	423
No. of PPC	5
Urban Health Centers	2

स्वामी कल्याण देव राजकीय चिकित्सालय मुजफ्फरनगर

जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

मुजफ्फरनगर जनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खुशहाल जनपद है। इसके पश्चिम में यमुना नदी तथा पूर्व में पतित पावनी गंगा बहती है। जनपद की सीमाएं उत्तराखण्ड, हरियाणा से तथा प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, मेरठ और बिजनौर जनपदों को छूती है। जनपद चीनी, गुड तथा लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

जनपद में गंगा किनारे शुक्रताल नामक महाभारत काल का स्थान जनपद को विशेष महत्व दिलाता है। इस स्थान पर शुकदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को लगभग 5000 वर्ष अक्षय वट के नीचे भागवत सुनाकर श्राप मुक्त कराया था। इसी स्थान पर हमारे जनपद पर हमारे जनपद के जाने माने समाज सेवी संत पुरुष पदम श्री स्वामी कल्याण देव जी ने अपना आश्रय स्थल बनाया। इन्हीं महापुरुष के नाम पर हमारे जनपद चिकित्सालय का नाम स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर रखा गया है। स्वामी कल्याण देव राजकीय चिकित्सालय दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

पंजीकरण कक्ष –

यहाँ पर पंजीकरण तथा जाँच का शुल्क लिया जाता है। प्रत्येक रोगी को साथ-साथ रसीद दी जाती है। लाल/सफेद राशन कार्ड धारक रोगियों को सभी सुविधायें निःशुल्क दी जाती हैं। इसका प्रचार जगह-जगह वाल पैन्टिंग के द्वारा कराया गया है।

एम्बुलेंस सेवा –

चिकित्सालय में दो एम्बुलेंस (एक छोटी तथा एक बड़ी) क्रियाशील स्थिति में है तथा रोगियों को 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उपलब्ध है। बी0पी0एल0 कार्ड धारक, गरीब रोगियों को निःशुल्क मेरठ मैडिकल कालेज भेजा जा रहा है।

प्राइवेट वार्ड –

चिकित्सालय में 4 प्राइवेट वार्ड तथा छः शैय्याओं का एक पेईंग वार्ड स्थापित है। अधिकांशतः सभी रोगियों द्वारा प्रयोग में आ रहे हैं। प्राइवेट वार्ड का शुल्क 100 रु0 प्रतिदिन प्रति शैय्या तथा पेईंग वार्ड का शुल्क 35 रु0 प्रतिदिन प्रति शैय्या है। प्राइवेट वार्ड का विस्तार हो रहा है। '8' प्राइवेट वार्डों का निर्माण कार्य चल रहा है।

अन्तः रोग विभाग –

यह जिला चिकित्सालय 155 शैय्याओं के द्वारा जनता की सेवा कर रहा है। सभी वार्डों शौचालयों की सफाई व्यवस्था अति उत्तम है। रोगियों को सभी औषधियाँ चिकित्सालय से दी जाती है तथा विशेषज्ञों की माँग पर विशेष औषधियाँ स्थानीय क्रय कर रोगियों को तुरन्त उपलब्ध करायी जा रही है। रोगियों को उनकी माँग पर भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

वाह्य रोग विभाग –

वाह्य रोग विभाग में फिजीशियन, सर्जन, बाल रोग, ई0एन0टी0 विशेषज्ञ, चर्म रोग तथा अस्थि रोग, दन्त चिकित्सक, सामान्य रोग चिकित्सक रोगियों का उपचार करते हैं।

सभी दिवसों पर ए0आर0वी0 वैक्सीन सभी (नगर का राशन कार्ड धारक होने पर) रोगियों को निःशुल्क लगाई जाती है।

दन्त विभाग –

सामान्य उपचार के साथ एक्सरे एवं आर0सी0टी0 की सुविधा भी उपलब्ध है।

हृदय रोग विभाग

यह विभाग इस चिकित्सालय का गौरव बढ़ाता है। सभी रोगियों को इन्जैक्शन, स्ट्रेटोकीनेस, हेपारिन जैसी महंगी औषधियाँ भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। इस विभाग में सेन्ट्रल मानीटर, ऑक्सीजन कन्ट्रोलर, बैड साइड मानीटर, टी0एम0टी0 मशीन, ई0सी0जी0 एवं, इको मशीन उपलब्ध है। सभी क्रियाशील है।

रक्तकोष/पैथोलोजी विभाग/ब्लड सेपरेशन यूनिट –

जनपद चिकित्सालय का रक्त कोष नगर का एक मात्र लाईसेंसीकृत रक्त कोष है। इसका कार्य अत्यन्त उत्तम है। जिला चिकित्सालय तथा नगर के सभी नर्सिंग होम आदि को 24 घंटे सेवार्थें उपलब्ध करायी जा रही है। सभी उपकरण क्रियाशील है।

डेंगू के बुखार के रोगियों के इलाज में आवश्यक प्लेटलेट हेतू Blood Separation Unit 30 जून 2011 तक क्रियाशील हो जायेगी।

आकस्मिक विभाग –

रोगियों को 24 घंटे आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। क्योंकि चिकित्सालय दिल्ली, हरिद्वार/देहरादून मुख्य मार्ग पर स्थित है। अतः सड़क दुर्घटना के केस काफी आते हैं परन्तु सभी चिकित्सक तथा कैम्पस में निवास कर रहे कर्मचारी, फार्मसिस्ट, नर्सस सभी मिलकर स्थिति से अच्छी तरह निपटने में सहायनीय सहयोग करते हैं। सभी उपकरण क्रियाशील है। आकस्मिक विभाग में आये रोगियों को सभी सुविधायें 24 घण्टे निःशुल्क दी जाती है।

नेत्र विभाग –

नेत्र विभाग में दो शल्यक, दो आप्टोमीट्रिस्ट, दो स्टाफ नर्स नियुक्त है। दोनो शल्यक आईओएल विधि से तथा एक एसआईसी से मोतिया बिन्द ऑपरेशन करने में पारंगत है। रोगियों को भोजन भी दिया जाता है। नये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की स्थापना की गयी है। नेत्र विभाग में “फेको” विधि से आप्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। फेको इमल्सिफिकेशन मशीन क्रियाशील है।

“मोतिया बिन्द से हो परेशान, आप्रेशन कराओ जल्द आसान, लैन्स, दवाई मुफ्त में पाओ, नई रोशनी घर ले जाओ”

एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड विभाग –

पूर्णतः क्रियाशील है— दो रेडियोलोजिस्ट, एक टैक्नीशियन सेवायें दे रहे हैं। एक रेडियोलोजिस्ट सप्ताह में 3 दिन जिला महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड करते हैं। विभाग में दो एक्सरे मशीन, एक अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध/क्रियाशील एमएमसी आच्छादित है। सफेद, गुलाबी राशन कार्ड धारकों को एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड निःशुल्क कराये जाते है।

आईसीटीसी सेन्टर –

चिकित्सालय में HIV Counselling & Testing सुविधा उपलब्ध है। ART Link सेन्टर कार्यरत है।

STD Clinic

चर्म रोग विभाग में STD Clinic कार्यरत है। सभी रोगियों को पूर्ण चिकित्सा प्रदान की जाती है।

जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर



दिनांक 19 फरवरी, 2011 को मा0 मुख्यमंत्री जी, जनपद भ्रमण के दौरान जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में मेटरनिटी वार्ड का निरीक्षण करते हुए।



जिला महिला चिकित्सालय मुजपुरनगर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण वाह्य रोगी विभाग –

- ओपीडी में स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता है।
- पैथोलोजिकल जाँच की सुविधा उपलब्ध है।
- अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है।
- प्रतिदिन टीकाकरण किया जाता है।
- एड्स से सम्बन्धित परामर्श एवं जाँच प्रतिदिन की जाती है।
- एसटीडी क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध है।
- ओपीडी में पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सुचारु रूप से है।
- सभी मरीजों को दवाईयाँ चिकित्सालय से ही वितरित की जा रही है।
- स्मार्ट कार्ड धारकों का विशेष ख्याल रखा जाता है।

अन्तः रोगी विभाग –

- जिला महिला चिकित्सालय 100 शैयाओं के द्वारा जनता की सेवा कर रहा है।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी कार्य निःशुल्क किया जाता है।
- वार्डों की व्यवस्था उत्तम है।

- रोगियों के लिए शौचालय उपलब्ध है। प्रतिदिन नियमित रूप से उनकी सफाई की जाती है।
- सभी औषधियाँ चिकित्सालय से ही दी जाती हैं।
- आवश्यकता होने पर स्थानीय क्रय के द्वारा भी रोगियों के लिए औषधियों की व्यवस्था की जाती है।
- रोगियों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- आपरेशन कक्ष एवं लेबर रूम आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है। निश्चेतना विशेषज्ञों द्वारा निरन्तर दोनो कक्षों की देखभाल की जाती है।
- गुणवत्तापरक सुविधायें प्रदान करने में पूरा स्टॉफ सक्षम है तथा उत्तरोत्तर नवीनतम सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।
- आवश्यकता पड़ने पर मरीजों के संदर्भन हेतु एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- पेयजल हेतु आर0ओ0 लगा हुआ है
- विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत जनरेटर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

इमरजेंसी सेवायें 24 घंटे उपलब्ध हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम –

- इस कार्यालय के अन्तर्गत परिवार नियोजन की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।
 - महिला नसबन्दी आपरेशन हेतु एक पृथक शल्यक्रिया कक्ष की व्यवस्था है जिसमें आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं तथा उत्तम गुणवत्तापरक शल्यक्रिया की जाती है।
 - परिवार नियोजन की अस्थाई विधियों यथा कापरटी, ओरलपिल्स, निरोध वितरण की उचित व्यवस्था है।
 - बच्चों को प्रतिदिन टीकाकरण किया जाता है।
- भवन का नवनिर्माण हो रहा है। भविष्य में बेहतर सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।

जनपद में कार्यरत अन्य चिकित्सा इकाईयो का विवरण –

स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची

क्र० सं०	ब्लाक स्तरीय सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र का नाम	अति प्रा०स्वा०के० का नाम
1.	मेघाखेडी	जटमुझेडा, जडौदा, बहादुरपुर
2.	बघरा	कुटबा, हरसौली, जसोई, पिनना, लालूखेडी, काजीखेडा
3.	चरथावल	रोहना, कुटेसरा, दूधली, बिरालसी
4.	पुरकाजी	बरला, छपार, बसेडा, तुगलकपुर
5.	शाहपुर	सिसौली, गोयला, पुरबालियान
6.	बुढाना	कुरालसी, मौ०पुर रायसिंह, रियावली नगला
7.	कैराना	ऊँचा गाँव, कण्डेला, तितरवाडा, भूरा
8.	काँधला	गर्गेरू, राजपुर-छाजपुर, एलम, फुगाना, लिसाढ, जसाला
9.	ऊन	झिझांना, गढीपुख्ता, चौसाना, हथछोया, केरटू
10.	कुडाना	लॉक, भनेडा कासोपुर, सिलावर, बहावडी
11.	थानाभवन	बाबरी, हरड फतेहपुर, गढी अब्दुला
12.	जानसठ	मीरापुर, रामराज, राजपुर कंला, कवाल
13.	मोरना	भोपा, सिकन्दरपुर, तेवडा, भोकरहेडी, ककरौली, तिस्सा
14.	गालिबपुर	बडसू, घासीपुरा, दूधाहेडी, जसोला
15	गढीनोआबाद	–
योग	15	59
1	खतौली	प्रथम संदर्भन इकाई
2	शामली	प्रथम संदर्भन इकाई
3	जिला महिला चिकित्सालय	प्रथम संदर्भन इकाई
योग	3	3

1- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -

जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। प्रत्येक केन्द्र में बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग स्थापित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जानसठ शाहपुर, काधला, कैराना, चरथावल थानाभवन खतौली एवं शामली पर 30 रोगी शैया उपलब्ध हैं, प्रत्येक केन्द्र के आकास्मिक विभाग में राउड दा क्लाक करोस्टर द्वारा चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ तैनात कर रोगियों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जानसठ शाहपुर, काधला, कैराना, थानाभवन खतौली एवं शामली पर एकसरे मशीन की सुविधा उपलब्ध हैं। सभी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध हैं ओ० पी० डी० रोगी चार्ज 1 रूपया लिया जाता है सभी रोगियों को आवश्यक ओषधियाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अर्न्तगत सभी सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है।

Office of C.M.O., Muzaffarnagar (List of CUG Numbers)

Sl.	Mob. No.	Designation
1	9634092001	C.M.O.
2	9634092002	ACMO Store
3	9634092003	D.T.O.
4	9634092004	Addl. C.M.O. (NVBDCP)
5	9634092005	Addl. C.M.O. Imm. & RCH
6	9634092006	A.C.M.O.
7	9634092007	MO I/c Meghakeri
8	9634092008	MO II Meghakeri
9	9634092009	MS Khatauli
11	9634092011	MO I/c Galibpur
12	9634092012	MO I/c II Galibpur
13	9634092013	MS Jansath
14	9634092014	MO II Jansath
15	9634092015	MO I/c Morna
16	9634092016	MO II Morna
17	9634092017	MO I/c Purkazi
18	9634092018	MO II Purkazi
19	9634092019	MO I/c Baghra
20	9634092020	MO II Baghra
21	9634092021	MO I/c Charthawal
22	9634092022	MO II Charthawal
23	9634092023	MS Thanabhawan
24	9634092024	MO II Thanabhawan
25	9634092025	MO I/c Shahpur
26	9634092026	MO II Shahpur
27	9634092027	MO I/c Budhana
29	9634092029	MS Shamli
31	9634092031	MO I/c Kudana
32	9634092032	MO II Kudana
33	9634092033	MS Kandhla
34	9634092034	MO II Kandhla
35	9634092035	MS Kairana
36	9634092036	MO II Kairana
37	9634092037	MO I/c Oon
38	9634092038	MO Oon
39	9634092039	C.M.S., MZN
40	9634092040	C.M.S. (F), MZN
41	9634092094	H.E.O.
42	9634092095	D.C.M.

45	9634092098	DAIO
46	9634092315	ACMO
47	9634092316	DHEIO
48	9634092317	ICC
49	9634092318	DMO
50	9634092319	Peon (CMO Office)
51	9410621881	Dy. CMO NRHM
52	9548286974	Dy. CMO
53	9897496004	Dy. CMO
54	9412127577	Dy. CMO
55	#18005192812	CMS(F)
56	#18005192813	CMS(M)
57	#18005192890	ACMO/RCH
58	#18005192686	CMO
59	#18005193150	DAM
60	#18005193007	DHEIO
61	#18005193221	DCM
62	#18005193078	DPM
64	#18005193673	Charthawal
65	#18005193667	Jansath
66	#18005193670	Kairana
67	#18005193669	Kandhla
68	#18005193668	Khatauli
69	#18005193674	Shahpur
70	#18005193671	Shamli
71	#18005193672	Thanabhawan

2- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 59 प्रा० स्वा० केन्द्र स्थापित है। प्रत्येक केन्द्र बाह्य रोग विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग स्थापित है। प्रत्येक केन्द्र पर 02 रोगी शैया उपलब्ध है। प्रत्येक केन्द्रों के आकस्मिक विभाग में राउण्ड दायर क्लोक रोस्टर द्वारा चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ तैनात कर रोगियों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। ओ० पी० डी० में रोगी चार्ज रूपया लिया जाता है। सभी रोगियों को आवश्यक औषधियाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। समस्त केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अर्न्तगत सभी सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं सेवाओं का विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत -

जननी सुरक्षा योजना -

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत वर्ष 2006-07 में जननी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गयी इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सुरक्षित प्रसव एवं सस्थागत प्रसव के लिए प्रोसाहित कराना है। ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। यह योजना प्रदश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

उद्देश्य -

योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था पंजीकरण, सुरक्षित प्रसव, प्रसवोत्तर सेवाएँ प्रदान करने के साथ ही प्रसव के समय / पश्चात धनराशि प्रदान कराना ताकि वे उस धनराशि का उपयोग प्रसव से सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए कर सकें। सुरक्षित मातृत्व की

परिकल्पना साकार करना है। ग्रामीण क्षेत्र की व महिलाएँ जो प्रसव के लिए चिकित्सालय जाना चाहती हैं किन्तु धन अभाव के कारण वाहन की व्यवस्था व व्यय करने में असमर्थ हैं। उनको चिकित्सालय तक ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, चिकित्सालय में उनका साथ रहने व भोजन आदि व्यवस्था करना

— महिलाओं के क्षेत्र से चयनित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आषा के द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इस व्यवस्था के लिए भी योजना में धन राशि का प्राविधान है।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को निम्न मानक अनुसार धनराशि दी जाती है—

ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई तथा उपकेन्द्र / प्रा0स्वा0 केन्द्र / सामु0 स्वा0 केन्द्र / प्रथम सन्दर्भन इकाई/जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रुपये 1400/-की सहायता धनराशि दी जाती है। उपरोक्त लाभार्थियों आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय ले जाने के लिए आषा द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है। जिसके लिए आषा को रुपये 250/- तक की धनराशि दी जाती है। लाभार्थी महिला के साथ चिकित्सालय में रहने व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए आषा को रुपये 150/- तक की धनराशि का प्राविधान है। लाभार्थी महिला को प्रसव पूर्ण पंजीकरण, गर्भवस्था जाँच सुरक्षित प्रसव / सस्थागत प्रसव हेतु सेवाएँ एवं नवजात शिशु का बी0सी0 जी0 का टीकाकरण कराने पर आषा को रुपये 200/- की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

2—जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव कराने पर रुपये 1000/-की सहायता धनराशि दी जाती है।

3— घरेलू प्रसव कराने पर वे महिलाएँ जिनकी आयु 19 वर्ष या अधिक है, दो जीवित बच्चों के जन्म तक बी0पी0एल कार्ड प्रस्तुत करने पर रुपये 500 /-की सहायता धनराशि दी जाती है।

4— जनपद में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

जच्चा बच्चा सुरक्षा अभियान —

शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 01 अगस्त, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक जनपद में यह अभियान चलाया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की तथा जनपद मुजफ्फरनगर की मातृ मृत्यु दर 440 प्रति एक लाख जीवित जन्म प्रतिवर्ष है, जब कि सन 2012 तक हमारा लक्ष्य इसे कम करके 258 प्रति एक लाख जीवित जन्म करना है। प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 67 प्रति एक हजार जीवित प्रतिवर्ष है, तथा जनपद मुजफ्फरनगर की शिशु मृत्यु दर 48.58 प्रति एक हजार जीवित जन्म प्रति वर्ष है, हमारा 2012 तक का लक्ष्य 36 प्रति एक हजार जीवित जन्म करना है।

- इस अभियान के अन्तर्गत सभी वैक्सीन व अन्य आवश्यक सामग्री स्वयं मैडिकल ऑफिसर व ए0एन0एम0 माईक्रोप्लान के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में चार वाहनों के द्वारा टीकाकरण स्थल पर लेकर जाते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को टी0टी0 के इन्जेक्शन लगाने के साथ ही आयरन की सौ गोलियाँ दी जाती हैं।
- सभी गर्भवती माताओं व नवजात शिशु से सम्बन्धित जानकारी निर्धारित ट्रेकिंग प्रपत्र पर भरकर ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0 पर कम्प्यूटर में फीड कराये जाते हैं।
- प्रत्येक आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने पर टीकाकरण स्थल पर ही 30/- रूपी प्रति की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती

है। बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण पर आशा को 20/- ₹0 प्रति टीकाकरण पर भी देय है।

बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी, व मण्डल आयुक्त को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जायेंगे।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम –

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु एक माह के अन्तराल पर दो टीके तथा एक वर्ष तक के बच्चों को बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो तथा खसरे के टीके तथा डेढ वर्ष और पांच वर्ष की आयु पर बूस्टर टीके (तथा साथ में विटामिन-ए की छः छः माह के अन्तराल पर कुल 9 खुराकें) निम्न समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। – गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में टी0टी0 या बूस्टर (इन्जेक्शन) (गर्भ का पता चलते ही) टी0टी0 प्रथम टीके के एक माह बाद टी0टी0-द्वितीय (इन्जेक्शन)

शिशु के लिए जन्म पर –

जन्म पर	पोलियो 0 डोज, बी0सी0जी0
1½ माह पर	बी0सी0जी0, (यदि पहले न दिया गया हो तो) डी0पी0टी0-1 व पोलियो-1
2½ माह पर	डी0पी0टी0-2, पोलियो-2
3½ माह पर	डी0पी0टी0-3, पोलियो-3
9 माह पर	खसरे का टीका, विटामिन-ए-1
16-24 माह पर	डी0पी0टी0, पोलियो बूस्टर

1.5 वर्ष पर डी0पी0टी0 बूस्टर (इन्जेक्शन) पोलियो बूस्टर खुराक जापानी इन्सेफलाइटिस से बचाव का टीका विटामिन ए का घोल द्वितीय खुराक (2 एम0 एल0 अर्थात दो लाख युनिट) 02 वर्ष से पाँच वर्ष तक विटामिन ए घोल की छः छः माह के अन्तराल से 7 खुराक (प्रत्येक खुराक 2 एम0 एल0 अर्थात दो लाख युनिट) पाँच वर्ष डी0टी0 इन्जेक्शन 10 व 16 वर्ष टी0टी0 इन्जेक्शन उक्त सभी टीके जिला चिकित्सालय समू0 स्वा0 केन्द्र प्रा0 स्वा0 केन्द्र व उप केन्द्रों पर प्रत्येक बुधवार व शनिवार को निःशुल्क लगाये जाते हैं। इसक अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक गाँव /शहरी क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती ए0 एन0 एम0 द्वारा पूर्व निरधारित कार्यक्रम के अनुसार दुरस्थ सत्र आयोजित कर यह सेवाए प्रदान की जाती है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम –

प्रदेश एवं जनपद में क्षय रोग के नियंत्रण हेतु, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में क्षय रोगियों का उपचार डाटस् प्रणाली द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित क्षय रोगियों का पंजीकरण , बलगम की दो जाँच तथा उपचार तक की सभी सुविधाए समस्त चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 70 प्रतिशत नये बलगम घनात्मक क्षय रोगियों को खोज तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखना एवं नये बलगम घनात्मक रोगियों का 85 प्रतिशत रोग मुक्त तथा उसकी

निरन्तरता बनाये रखना है। जनपद में 5 लाख की आबादी पर एक टी0बी0 यूनिट स्थापित हैं। 1 लाख की आबादी पर सम्भावित क्षय रोगियों की जाँच एवं उपचार हेतु माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित है। क्षय रोगियों के उनके निवास के अति निकट ओषिधिया खिलाये जाने क उददेश्य से रोगी के घर के निकट ही डोटस् केन्द्र स्थापित है। अतः जनपद में कुल आठ टी0बी0 युनिट तथा 41 डी0एम0सी0 क्रियाशील है। जहाँ पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय निरोधी ओषधियाँ सप्ताह में तीन दिन कम सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को निःशुल्क खिलाई जाती है।

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम—

नेत्र रोगिया में कमी लाने हेतु राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर मातियाबिन्द आपरेशन की साधारण एवं आई0ओ0 एल0 विधि द्वारा शल्य क्रिया करना 8 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के नत्रों की जाँच एवं निःशुल्क चश्मा वितरण करना नेत्र बैंक की स्थापना एवं कार्निया प्रत्यारोपण की प्रोत्साहन एवं जनता में नेत्र दान की जागरूकता पैदा कराना ऐसे विकास खण्ड जिसमें नेत्र रोग की व्यापकता दर 2 प्रति 10 हजार जनसंख्या से अधिक हो वहा विशेष अभियान घर घर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा नेत्र रोगियों को खोज कर नियमित उपचार प्रदान करके व्यापकता दर में कमी लानी हैं । सूचना शिक्षा एवं संचार रोग के बारे में जनजागरूकता लाने हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत स्कूल कॉलेज में निबंधक एवं वाद विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अधिक व्यापकता वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषरूप से होडिग एवं डिसपले बोर्ड के माध्यम से परस्पर प्रचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम —

भारत सरकार का कुष्ठ निवारण हेतु लक्ष्य व्यापकता दर 1 रोगी प्रति 10000 जनसंख्या पर लाना है। वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 0.34/10000 की जनसंख्या चल रही है। जनपद की व्यापकता दर 1/10000 आबादी से कम होने के कुष्ठ सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं से मिलकर किया गया। जनपद में पुरकाजी, मोरना की व्यापकता दर 1 रोगी प्रति 10000 की आबादी से अधिक है, जिसमें मरीजों की स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य शिविर के माध्यमों से कुष्ठ रोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुष्ठ निवारण सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु चिकित्सा अधिकारियों, फार्मसिस्टो, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बैच में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसमें कुष्ठ रोग की जटिलताओं की जांच उपचार हेतु पूर्णतया सक्षम हों। कुष्ठ रोगियों की संख्या में कमी लाना कुष्ठ के इपीडिमियोलोजिकल स्टेट्स कर राज्य स्तर पर जनपद स्तर से विकास खण्ड स्तर तक निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। सूचना शिक्षा एवं संचार कुष्ठ रोग के बारे में जन जागरूकता लाने हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत स्कूल कॉलेजों में निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, आशाओं का प्रशिक्षण जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर गणमान्य नागरिकों की कार्यशैला, गैर सरकारी संस्थाओं के संस्थापकों की कार्यशाला, स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। संचार माध्यमों के उपयोग द्वारा रोग के बारे में प्रचार प्रसार कर जनता को इस स्तर तक जागरूक, जिससे कुष्ठ रोग पीडित व्यक्ति स्वेच्छा से जांच एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित किया जा सकें।

वेक्टर बॉर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम –

प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक विशालतम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने हुए जनपद स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। इन पाँच वेक्टर जनित रोगों में से तीन परजीवी के कारण (मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार) तथा शेष दो रोग ए0ई0एस0 एवं डेगू वाइरस के कारण होते हैं। मनुष्य मलेरिया परजीवी का भार प्रदेश के साथ जनपद के सभी स्थानों में पाया जाता है। परन्तु अन्तर्राज्यीय सीमा से लगा जनपद होने के कारण अधिक संवेदनशील है। फाइलेरिया रोग का परजीवी प्रदेश के पूर्वी भाग के पचास जनपदों में पाया जाता है प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस रोग की व्यापकता नहीं है। जापानी इन्सेफलाइटिस रोग प्रदेश के जनपद में तथा डेगू रोग प्रदेश के घनी आबादी वाले नगरों विशेषकर दिल्ली एवं हरियाणा प्रान्त सीमावर्ती जनपदों में होता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इन्सेफलाइटिस डेगू चिकिनगुनिया मच्छरों से तथा कालाजार बालू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव व नियंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

रणनीति—

वाहक पर नियंत्रण मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण तथा सेनिटरी इंजीनियरिंग। वयस्क मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव एवं फांगिंग। मनुष्य मच्छरों के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय। सर्वेक्षण निदान एवं उपचार। स्वास्थ्य शिक्षा। प्रशिक्षण। परिवार कल्याण।

बाल स्वास्थ्य पोषण माह –

बच्चों में विटामिन-ए सम्पूरण बढ़ाने के लिए और समुदाय को बच्चों के स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से वर्ष में 02 बार 6 माह के अन्तराल पर जून एवं दिसम्बर माह में नियमित टीकाकरण सत्रों के साथ बाल स्वास्थ्य पोषण माह मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विटामिन-ए की 09 खुराकों का आच्छादन बढ़ाना है तथा 0-1 वर्ष तक के उन बच्चों के लिए भी विशेष प्रयास किये जाते हैं, जो विटामिन-ए की पहली खुराक या टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं साथ ही शिशुओं एवं छोटे बच्चों के अभिभावकों को बच्चे के जन्म के छः माह तक केवल स्तनपान व उपयुक्त आहार और कुपोषण के बचाव हेतु सलाह दी जाती है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कुपोषित बच्चों को चिन्हित तथा अतिकुपोषित बच्चों को सन्दर्भित किया जाता है।

आशा योजना –

आशा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक गांव में 1000 से 1500 की जनसंख्या पर आशा कार्यकर्त्री का चयन किया गया है। अपने कार्यक्षेत्र के समुदाय को स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी देने उन्हे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने, उपलब्ध सेवाओं के उपभोग के लिए परामर्श देने, व्यवस्था कराने तथा



सहायता देने के साथ साथ जटिल केस को सन्दर्भित करने, उनको स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पहुचानें मे मदद करने, ग्राम स्वास्थ्य योजना में सहायता करने तथा लोगो का सफाई व स्वच्छता का महत्व बताना आदि कार्य है। आशा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सेवा प्रदाता एवं ग्रामीणो के बीच की कडी के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक आशा को एक किट दी गयी है, जिसमें आवश्यक औषधियां, रूई, पट्टी, थर्मामीटर आदि है। आशाओ को प्रोत्साहित करने के उदद्वेष्य से प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आशा दिवस का भी आयोजन किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओ को पुरस्कृत भी किया जाता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र व जिला अस्पताल में परिवार नियोजन के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। बच्चो के जन्म के अन्तर रखने के लिए निरोध, खाने की गोलियाँ तथा कापर-टी की सुविधा सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर निःशुल्क उपलब्ध है। कापर-टी लगवाने पर 10 वर्ष तक बच्चा न होने पर नियन्त्रण रहता है। बच्चे की चाहत होने पर इसे कभी भी निकलवाया जा सकता है।

- प्रोत्साहन राशि के रूप में पुरुषों को नसबन्दी कराने पर धनराशि ₹ 1100=00 तथा महिलाओं को धनराशि ₹ 600=00 नगद प्रदान की जाती है।
- प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट के प्रयोग से गर्भधारण (Pregnancy) का प्रारम्भ में ही पता चल जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं की आवश्यकतानुसार देखभाल की जा सकती है तथा गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।
- Anti-D इन्जेक्शन – आर0एच0 (निगेटिव) महिला ब्लड ग्रुप की गर्भवती महिलाओं हेतु सावधानिया एवं सुझाव – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इस वर्ष गर्भवती महिलाओं के लिए इन्जेक्शन समस्त एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी गर्भवती महिलाओं के ब्लड ग्रुप की जांच प्रथम त्रैमास में आवश्यक रूप से की जाती है। जिस गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप आर0एच0 (निगेटिव) है उसका प्रसव एफ0आर0यू0 पर ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायें। प्रसव के उपरान्त बच्चे के ब्लड ग्रुप की जांच अवश्य की जायें।
- इन्द्रावेनस आयरन सुक्रोज थेरेपी – महिलाओं विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया (रक्ताल्पता) काफी व्यापक है, जिससे गर्भवती महिलाओं की मृत्यु (Maternal Mortality) भी हो जाती है। इसलिये हीमोग्लोबिन % 8 gm से कम होने की स्थिति को सीवियर एनीमिया की श्रेणी में रखा गया है, जिसका निदान अर्थात् हीमोग्लोबिन लेवल सामान्य स्थिति तक लाने हेतु इन्द्रावेनस आयरन सुक्रोज थेरेपी को कारगर माना गया है।

पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम –

उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात 898 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है, जबकि मुजफ्फरनगर में यह 871 स्त्रिया प्रति हजार पुरुष है।

- कन्या भ्रूण हत्या पर नियन्त्रण लगाने के लिए गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 बनाया गया है, इसके अन्तर्गत मादा भ्रूण हत्या कानून जुर्म है। जिसमें भ्रूण की लिंग जांच करने वाला डाक्टर तथा जांच कराने वाले व्यक्ति दोनों के लिए कैद व जुर्माना निर्धारित है।

- गिरते हुए लिंग अनुपात के दुष्परिणाम एवं पीपीएनडीटी अधिनियम के प्राविधानों के प्रति जनता में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु जनपद में समय समय पर प्रचार प्रसार गतिविधियां सम्पादित की जाती है। इसी के अन्तर्गत मार्च, 2011 में आशाओं ने हाथों में गुलाब का फूल लेकर षहर के मुख्य चौराहो पर रैली निकाल कर लोगो को सन्देश दिया कि



“हर फूल को महकने दो, ओर बेटियों को जीने का अधिकार दों।”

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम –

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में चार आई0सी0टी0सी0 सेन्टर जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र षामली व मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर, जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में एक ए0आर0टी0 सेन्टर भी कार्यरत है, जिसमें सम्भावित रोगियों का निःशुल्क एच0आई0वी0 परीक्षण भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किटो द्वारा किया जाता है तथा रोगियों को परीक्षण से पूर्व एवं बाद में पूर्ण परामर्श दिया जाता है। वर्ष 2010 में जनपद जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में लिंक ए0आर0टी0 केन्द्र की स्थापना की गयी।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम –

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड के 60 विद्यालयो का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक 6 माह पर मेडिकल टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जाकर समस्त बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। 6 माह पर पेट के कीडो की दवाई व सप्ताह में दो नियत दिनो पर सभी बच्चो को आयरन की गोली अध्यापक द्वारा खिलायी जाती है, साथ ही बच्चो का परीक्षण कर दृष्टि दोष होने पर उन्हे निःशुल्क चष्मों भी उपलब्ध कराये जाते है।

सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना –

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड के 10 कन्या विद्यालयों में 10-19 वर्ष की बालिकाओं का 6 माह में एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा तथा प्रत्येक सप्ताह 01 गोली आयरन की दी जाती है, साथ ही किशोरियों को सफाई व स्वच्छता एवं सामान्य जानकारी देने के लिए प्रत्येक माह सलोनी सभा का भी आयोजन किया जाता है।

सास बहू सम्मेलन –



परिवारों में संवाद हीनता अथवा परस्पर विष्वास की कमी के कारण बहुधा सही प्रथाओं का परिपालन नहीं हो पाता है, जिसमें कभी सास तथा कभी बहू भ्रान्ति का शिकार होने के कारण प्रचलित कृप्रथाओं पर चलकर



नवजात अथवा माँ का अनिष्ट कर बैठती है। अतः आवश्यक है कि एक ही मंच पर दोनों को साथ बिठाकर सम्मेलन के रूप में सही संदेश पहुंचाये जाये, जिससे जनपद मुजफ्फरनगर का मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम हो सकें। इस हेतु मुजफ्फरनगर के महत्वपूर्ण चिकित्सकों, आई0सी0डी0एस0 के अधिकारियों,

एन0जी0ओ0, पंचायती राज सदस्यों के अतिरिक्त धार्मिक नेता, ओपीनियन लीडर्स तथा अन्य सम्मानीय व्यक्तियों को आमंत्रित किये जाता है। वर्ष 2010-11 में 25 दिसम्बर, 2010 को सास बहू सम्मेलन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

तहसील स्तरीय प्रधान सम्मेलन –

ग्रामीण क्षेत्रों में सही विकास के लिये आवश्यक है कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बिठाकर सम्मेलन के रूप में सही संदेश पहुंचाये जायें, जिससे प्रदेश का मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम हो सकें। इस हेतु जनपद मुजफ्फरनगर के महत्वपूर्ण चिकित्सकों आई0सी0डी0एस0 के अधिकारियों, एन0जी0ओ0, पंचायती राज सदस्यों के अतिरिक्त धार्मिक नेता, ओपीनियन लीडर्स तथा अन्य सम्मानीय व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की सामुदायिकीकरण एवं विकेंद्रीकृत कार्ययोजना बनाने में अहम भूमिका है। प्रधानों को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के दायित्वों, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने आदि विषय पर तहसील स्तर पर प्रधान सम्मेलन आयोजित किये गये।

विकंलागता प्रमाण पत्र –

जनपद में विकंलाग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वाले तहसील दिवसों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाये जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में केवल सदर तहसील एवं तहसील दिवसों से सन्दर्भित विकंलाग प्रमाण पत्र केवल वृहस्पतिवार को ही बनाये जाते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुजफ्फरनगर